


फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर शहर (द्वितीय),
जयपुर


प्रार्थना पत्र संख्या ~~44~~/2019

उनवान:- छीतरमल बनाम गुल्ला


पत्रावली आज दिनांक 09.10.2019 को पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। कार्यालय रिपोर्ट होकर प्राप्त हो चुकी है प्रार्थना पत्र टी.आई दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण की तामील हेतु नोटिस जारी हो। बहस प्रार्थना पत्र टी आई पर वकील एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनता प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी पेशी तक पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त कृषि आराजीयात खसरा नंबर 492 रकबा 0.0800 है, खसरा नंबर 493 रकबा 0.1300 है, खसरा नंबर 494 रकबा 0.1700 है, खसरा नंबर 495 रकबा 0.0500 है, खसरा नंबर 496 रकबा 0.1400 है, कुल खसरा 5 कुल रकबा 0.5700 है। वाकै ग्राम झांई पटवार हल्का भमोरिया भू0अ0नि0 क्षेत्र ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु (पाबन्द) एवं मौके पर कोई निर्माण आदि न करने हेतु पाबन्द किया जाता है। अगर किसी प्रकार का उज्र हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय हाजा उपस्थित होकर दिनांक 24.10.2019 को पेश करे।


सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

24/10/19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।
वकील प्रार्थी अप्रार्थीगण की तामील हेतु नोटिस जारी होकर पत्रावली प्राप्त हो चुकी है। प्रार्थना पत्र टी.आई दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण की तामील हेतु नोटिस जारी हो। बहस प्रार्थना पत्र टी आई पर वकील एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनता प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी पेशी तक पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त कृषि आराजीयात खसरा नंबर 492 रकबा 0.0800 है, खसरा नंबर 493 रकबा 0.1300 है, खसरा नंबर 494 रकबा 0.1700 है, खसरा नंबर 495 रकबा 0.0500 है, खसरा नंबर 496 रकबा 0.1400 है, कुल खसरा 5 कुल रकबा 0.5700 है। वाकै ग्राम झांई पटवार हल्का भमोरिया भू0अ0नि0 क्षेत्र ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु (पाबन्द) एवं मौके पर कोई निर्माण आदि न करने हेतु पाबन्द किया जाता है। अगर किसी प्रकार का उज्र हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय हाजा उपस्थित होकर दिनांक 24.10.2019 को पेश करे।


सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

31/10/19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।
वकील प्रार्थी अप्रार्थीगण की तामील हेतु नोटिस जारी होकर पत्रावली प्राप्त हो चुकी है। प्रार्थना पत्र टी.आई दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण की तामील हेतु नोटिस जारी हो। बहस प्रार्थना पत्र टी आई पर वकील एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनता प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी पेशी तक पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त कृषि आराजीयात खसरा नंबर 492 रकबा 0.0800 है, खसरा नंबर 493 रकबा 0.1300 है, खसरा नंबर 494 रकबा 0.1700 है, खसरा नंबर 495 रकबा 0.0500 है, खसरा नंबर 496 रकबा 0.1400 है, कुल खसरा 5 कुल रकबा 0.5700 है। वाकै ग्राम झांई पटवार हल्का भमोरिया भू0अ0नि0 क्षेत्र ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु (पाबन्द) एवं मौके पर कोई निर्माण आदि न करने हेतु पाबन्द किया जाता है। अगर किसी प्रकार का उज्र हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय हाजा उपस्थित होकर दिनांक 24.10.2019 को पेश करे।


सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

डि.क-11

11-44/2019

कीलमल काम कुगा

अम दाजती मद्रम पैरवी में खारिज करिपा जाला
है। पत्रावली लेवल शुमार दोकर इत नैकर
से कम दोकर हाखिल दफ्तर हो निर्णय भन
दिनांक 31/10/19 को चरे रत लान हुगा गण्य

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

